

वित्त वर्ष 2025 प्रवेश और निरंतर निवास का सारांश नीति (ACOP) के अपडेट

यह दस्तावेज़ शिकागो हाउसिंग अथॉरिटी (Chicago Housing Authority, CHA) की प्रस्तावित वित्त वर्ष 2025 प्रवेश और निरंतर निवास नीति (Admissions and Continued Occupancy Policy, ACOP) के कुछ हिस्सों में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों का सारांश प्रस्तुत करता है। अतिरिक्त भाषाई सुधार, नवीनतम अपडेट और अनुभागों की संरचना में भी बदलाव किए गए हैं।

आधुनिकीकरण अधिनियम के माध्यम से आवास अवसर (HOUSING OPPORTUNITIES THROUGH MODERNIZATION ACT, HOTMA) नीतियाँ

HOTMA के तहत संघीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई अनुभागों को अपडेट किया गया, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। विभिन्न शब्दों की परिभाषाएँ (अनुभाग XIV) भी जोड़ी गईं या संशोधित की गईं।

अनुभाग II.B – आवेदनों की प्रक्रिया और प्रवेश के लिए पात्रता; प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करना
इस अनुभाग को संशोधित कर सामाजिक सुरक्षा संख्या की स्वयं-प्रमाणन प्रक्रिया को हटाया गया है।

अनुभाग II.G – आवेदनों की प्रक्रिया और प्रवेश के लिए पात्रता; प्रवेश जांच मानदंड
प्रवेश पात्रता की जांच के समय आवेदकों के लिए, नीति भाषा को संशोधित किया गया है जिसमें \$100,000 की संपत्ति सीमा और उपयुक्त आवासीय संपत्ति के स्वामित्व पर प्रतिबंध के बारे में प्रावधान शामिल हैं, जिनमें कुछ विशिष्ट अपवाद दिए गए हैं।

अनुभाग VI.A – आय और परिवार की परिस्थितियों की पुनः जांच; निरंतर निवास के लिए पात्रता
इस अनुभाग को संशोधित किया गया है ताकि सामाजिक सुरक्षा संख्या सत्यापन के लिए स्वीकृत रूपों की सूची को स्पष्ट किया जा सके।

अनुभाग VI.B – आय और परिवार की परिस्थितियों की पुनः जांच; पुनः जांच
निरंतर निवास के लिए पुनः जांच के समय निवासियों के लिए, नीति भाषा को संशोधित किया गया है जिसमें \$100,000 की संपत्ति सीमा और उपयुक्त आवासीय संपत्ति के स्वामित्व पर प्रतिबंध के बारे में प्रावधान शामिल हैं, जिनमें कुछ विशिष्ट अपवाद दिए गए हैं।

अनुभाग XI – आय और किराया निर्धारण
परिवार की संपत्तियों से आय सीमा \$50,000 के संबंध में अनुभाग को संशोधित किया गया है। संपत्तियों, बाल देखभाल खर्चों, सहायक देखभाल खर्चों, चिकित्सा खर्चों और छात्र वित्तीय सहायता के संबंध में अतिरिक्त संशोधन किए गए हैं। आय और किराया निर्धारण अनुभाग को स्पष्टता के लिए भी पुनः स्वरूपित किया गया है।

शिकागो फ़ेयर नोटिस अधिनियम

अनुभाग VII.E – किराए और परिवार संरचना के लिए अंतरिम समायोजन; अंतरिम समायोजन प्रक्रियाएँ
नीति भाषा में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि CHA को शिकागो फ़ेयर नोटिस अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित पुनः जांच से कम से कम 120 दिन पहले संभावित किराया वृद्धि का नोटिस प्रदान करना होगा। अंतरिम समायोजन अनुभाग को स्पष्टता के लिए भी पुनः प्रारूपित किया गया है।

निवास निष्कासन रोकथाम नीतियाँ

अनुभाग XIII.D – पढ़ा समाप्ति; निवास निष्कासन रोकथाम और सामाजिक सेवाओं के लिए संदर्भ

वित्त वर्ष 2025 प्रवेश और निरंतर निवास का सारांश नीति (ACOP) के अपडेट



इस अनुभाग में पट्टा समाप्ति के लिए नीतियाँ दी गई हैं। इस अनुभाग में नीति भाषा जोड़ी गई है जो निवास निष्कासन को रोकने के लिए विभिन्न कदमों को बढ़ावा देती है, जैसे कि फ़ैमिलीवर्क्स और अन्य समर्थन प्रणालियों के लिए संदर्भ देना। इस भाषा का उद्देश्य उन निष्कासनों की संख्या को घटाना है जिन्हें रोका जा सकता है और निष्कासन की प्रक्रिया से संबंधित प्रशासनिक और कानूनी खर्चों को कम करना है। यह कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ा सकता है जो निवासियों को उनका किराया चुकाने या पट्टा उल्लंघनों से बचने में मदद करते हैं। यह भाषा उन मामलों में निष्कासन को रोकने में सक्षम नहीं होगी जहाँ यह आवश्यक हो, जैसे कि आपराधिक मामलों को लागू करने हेतु।